न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 17/2019/अपील

1. अर्जुनराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी पापड़िया की ढाणी तन शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलांट

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. पटवारी, पटवार हल्का किशनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. गिरदावर, गिरदावर हल्का रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 284 दिनांकित 19.07.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांक— 26.12.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.84 हैक्टर वाके ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलांट ने उक्त भूमि खातेदार गोपीराम पुत्र दानाराम का हिस्सा रकबा 0.915 में सें 0.37 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.1.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 62 के पृष्ठ संख्या 165 के क्रम संख्या 1178 पर उपपंजीयन कार्यालय पलसाना में तस्दीक करवा कर क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से उक्त हिस्से पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है। विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2005 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अर्थात नामांतकरण करवाने के लिए पटवारी हल्का को देने पर उक्त विक्रय पत्र नामांतकरण संख्या 284 में भर कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के समक्ष पेश किया जिसें बिना जांच ही तस्दीक कर दिया गया एवं उक्त नामांतकरण निम्न आधारो पर निरस्त होने योग्य है– 1. विक्रय पत्र दिनांक 5.10.2005 में अपीलांट के पिता का अर्थात क्रयकर्ता का नाम अर्जुनराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी पिपड़िया की ढाणी तन शिश्यू अंकित है व अपीलांट का वास्तविक नाम भी यही है। परन्तु पटवारी हल्का ने नामांतकरण भरते समय नामांतकरण जिल्द में विक्रय पत्र में अपीलांट के पिता का नाम पदमाराम के स्थान पर गोपीराम कर दिया जो गलत है। 2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के समक्ष उक्त नामांतकरण संख्या 284 प्रस्तुत किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या ने बिना विक्रय पत्र का अवलोकन किये ही अपनी जांच में लिख दिया कि रिकॉर्ड की तुलना की गई, अंकन ठीक है। विक्रय पत्र के विपरीत होने के कारण उक्त नामांतकरण निरस्त होने योग्य है। 3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने तस्दीक नामांतकरण हेतु दिनांक 19.07.2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के समक्ष पेश किया तो रेस्पोडेंट संख्या 3 ने बिना विक्रय पत्र का अवलोकन किये ही उक्त नामांतकरण तस्दीक कर दिया जो कि विक्रय पत्र के विपरीत है। 4. उक्त नामांतकरण का अमल दरामद भी राजस्व रिकॉर्ड में अर्जुनराम पुत्र गोपीराम हो गया जो कि गलत है। वर्तमान में अपीलांट का राजस्व रिकॉर्ड में उसी अनुसार चला आ रहा है। अपीलांट का उक्त गलत नामांतकरण की जानकारी दिनांक 30.08.2019 को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का सें जमाबंदी लेने पर हुई जिसमें पिता का नाम पदमाराम के स्थान पर गोपीराम दर्ज है। इसलिए अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अंत में अपील प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 284 दिनांक 19.07.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत किशनपुरा को खारिज कर विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2005 के अनुसाार तस्दीक करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण विकय पत्र के अनुसार नहीं भरा गया है क्योंकि विकय पत्र में केता का नाम अर्जुनराम पुत्र पदमाराम दर्ज है जिसकों नामांतकरण में अर्जुनराम पुत्र गोपीराम दर्ज कर दिया गया है जो गलत है अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 284 दिनांकित 19.07.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत किशनपुरा को खारिज कर पुनः विकय पत्र के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया जावे।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण व विकय पत्र दिनांक 05.10.2005 का अवलोकन किया गया जिससें स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 284 व विकय पत्र दिनांक 05.10.2005 में केता के पिता के नामों में भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 284 निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 284 दिनांक 19.07.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विकय पत्र दिनांक 05.10.2005 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।
पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner